न्यायालय जिला कलक्टर, सीकर
पीठासीन अधिकारी नरेश कुमार ठकराल, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या 04/2006/प्रा. पत्र 14(4)

1.	दूलाराम (मृतक) पुत्र स्व. भूराराम	समस्त जाति माली, निवासी गांवडी, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर राज
1.1	गोपाल पुत्र स्व. दूलारम	

प्रार्थीगण्

बनाम

1. कुलदीपसिंह पुत्र स्व. लक्ष्मणसिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम गांवडी, तहसील नीमकाथाना, सीकर।
2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, नीमकाथाना मुकाम नीमकाथाना,जिला सीकर
3. राजस्थान भूदान यज्ञ बोर्ड, कार्यालय धावाई जी की हवेली, बड़ी चौपड़, जयपुर
4. आवंटन सलाहकार समिति जरिये अध्यक्ष उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर

5.	बाबूलाल पुत्र स्व. दूलाराम	जाति माली, निवासीगण ग्राम गांवडी, तहसील नीमकाथाना जिला सीकर
6.	जगमाल पुत्र स्व. दूलाराम	
7.	मु. सुआ पुत्री स्व. दूलारम पत्नी दीपाराम	जाति सैनी, निवासिनी बीड़ा की ढ़ाणी तन कांवट, तहसील खण्डेला, जिला सीकर
8.	मु. मन्नी पुत्री स्व. दूलाराम पत्नी कानाराम	जाति सैनी, निवासिनी बीड़ा की ढ़ाणी तन कांवट, तहसील खण्डेला, जिला सीकर
9.	मु. मुली पुत्री स्व. दूलाराम पत्नी सुरजाराम	निवासिनी नीमकाथाना छावनी, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर
10.	मु. संजया पुत्री स्व. दूलाराम पत्नी हेतराम	जाति सैनी, निवानी ढ़ार्णा जोड़ोवाली तन गुहाला, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर

अप्रार्थीगण्

जिला कलक्टर सीकर (राज.)

आवेदन अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान लेण्ड रेवन्यु (अलाटमेंट ऑफ लेण्ड फॉर एग्रीकल्चर परपचेज) नियम 1970

उपस्थितः—

1. वकील श्री मदन लाल शर्मा प्रार्थीगण की ओर से।
2. वकील श्री लक्ष्मण सिंह सुण्डा अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से।
3. वकील श्री बजरंग सिंह राजपूत अप्रार्थीगण संख्या 5 से 10 की ओर से।

जिला कलक्टर, सीकर

Web Copy - Not Official
Scanned by CamScanner

निर्णय

सुनवाई दिनांक: 12 फरवरी, 2018 निर्णय दिनांक : 20 मार्च, 2018

1. प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में निम्न प्रकार से होना अंकित किया है कि:—

(1) ग्राम गांवडी तहसील नीमकाथाना जिला सीकर में स्थित भूमि खसरा नम्बर 650/2 रकबा 6 बीघा, जिसके पिछले बंदोबस्त में नवीन खसरा नम्बर 335 रकबा 1.52 है, बने हैं। उक्त भूमि खसरा नम्बर 650 का आवंटन ग्राम गांवडी में आवंटन सलाहकर समिति द्वारा, गैरकानूनी रूप से दिनांक 26.12.1975 को कर दिया गया। उक्त आवंटन आदेश दिनांक 26.12.1975 पारित करने से पूर्व किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नियमों की न तो पालना की गई, न ही नियमानुसार कोई जानकारी सार्वजनिक रूप से ही आवंटन से पूर्व प्रसारित की गई एवं भूमि का आवंटन गैरकानूनी रूप से कर दिया गया।

(2) दिनांक 26.12.1975 को आवंटन अप्रार्थी संख्या 1 के स्व. पिता लक्ष्मण सिंह पुत्र बागसिंह को भूमि आवंटित की गई थी, जो आवंटन समिति की लिस्ट में कम संख्या 11 पर दर्ज है। प्रार्थीगण इस आवेदन के जरिये उक्त आवंटन के कम संख्या 11 पर दर्ज अप्रार्थी संख्या 1 के पिता के आवंटन को निरस्त करवाने हेतु यह आवेदन प्रस्तुत कर रहा है।

(3) भूमि खसरा नम्बर 650 बरवक्त आवंटन एवं आवंटन से पूर्व सदैव नदी एवं नालों की भूमि दर्ज रही है, जो कि धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत आवंटन अथवा अन्य किसी प्रकार से खातेदारी देने के प्रयोजनार्थ भूमि नहीं थी और उक्त भूमि पर किसी भी प्रकार का न तो आवंटन संभव था एवं न ही खातेदारी कानूनन दी जा सकती थी। राजस्व जमाबन्दी सम्वत् 2020 से 2023 में उक्त भूमि मूल साबिक खसरा नम्बर 650 का कुल रकबा 10 बीघा 16 बिस्वा दर्ज है और समस्त भूमि ही नदी व नाले की दर्ज है। यही उक्त आवंटन दिनांक 26.12.1975 के पश्चात आवंटन के आधार पर जो नामान्तरण संख्या 636 दिनांक 2.01.1977 को खुला, उसमें भी भूमियां नदी एंव नालों की भूमियां ही दर्ज है।

(4) 1970 के नियमों के तहत केवल वही भूमि आवंटन के योग्य होती है, जो सरकारी सिवाय चक भूमि हो। जबकि भूमि मुताबिक रिकॉर्ड स्पष्ट रूप से नदी एवं नालों की भूमि है, जो 1970 के नियमों के तहत आवंटन योग्य भूमि

Web Copy - Not Official

जिला कलक्टर, सीकर

Scanned by CamScanner

नहीं थी। इसलिए समस्त नियमों व उप नियमों की पालना किये बिना ही उक्त आवंटन किया गया है।

(5) माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपने हाल ही प्रसारित निर्णय उनवानी सरकार बनाम अब्दुल रहमान के निर्णय में यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया है कि, नदी व नालों अथवा सार्वजनिक प्रयोजनार्थ कार्य में आने वाली भूमि का किसी भी प्रकार आवंटन नहीं किया जा सकता एवं ऐसा आवंटन शुन्य है। ऐसा ही मत राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर अपने विभिन्न निर्णयों में प्रारम्भ से निर्णित कर, धारण करता रहा है।

(6) आवंटन आदेश दिनांक 26.12.1975 में तो स्पष्ट रूप से अंकित है कि आवंटन कमेटी केवल कब्जाशुदा भूमि के आवंटन हेतु बैठी है, जबकि नामान्तरण संख्या 636 दिनांक 12.01.1977 में इबारत दर्ज है कि आवंटी का कब्जा हो चुका है अर्थात कब्जा पहले न होकर आवंटन के पश्चात करवाया गया है। इस प्रकार आवंटन कमेटी की लिखित व नामान्तरण का खुलासा देखने से भी स्पष्ट है कि समस्त आवंटन मिलीभगत साजिशी आंवटन है।

(7) राजस्व जमाबन्दी में विवादित आवंटित खसरा नम्बर 650 रकबा मूल 10 बीघा 16 बिस्वा सम्पूर्ण ही लगातार सम्वत् 2020 से 2035 तक गैरमुमकिन नला किस्म दर्ज है और खातेदारी कॉलम में नदी व नाले अंकित की भूमि दर्ज है। इस प्रकार आवंटन वर्ष 1975, जो सम्वत् 2031–2032 होता है। तत्कालीन समय भूमि स्पष्टतया नदी व नालों कर भूमि थी।

(8) नामान्तरण संख्या 661 दिनांक 02.07.1977 को देखने से स्पष्ट होता है कि गत खसरा नम्बर 650 रकबा 10 बीघा 16 बिस्वा, जिसमें से कि 6 बीघा लक्ष्मण सिंह पुत्र बागसिंह को आवंटित हुई थी, का खसरा नम्बर 650/1 दर्ज किया गया था और उस लक्ष्मण सिंह के फौत होने पर भूमि पुनः उसके पुत्र कुलदीप सिंह अप्रार्थी संख्या 1 के नाम आयी, जिसका खसरा नम्बर भी 650/1 ही था। इसी प्रकार नामान्तरण संख्या 1139 दिनांक 19.05.1986 को देखने से स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 650/1 रकबा 6 बीघा, जो कि लक्ष्मण सिंह को आवंटित हुआ था, वह कुलदीप सिंह के नाम लक्ष्मण सिंह की फौतगी पर आने के बाद इस नामान्तरण संख्या 1139 में खसरा नम्बर 650/2 दर्ज किया गया है और भूमि का होल्डर राजस्थान भूदान यज्ञ बोर्ड करार दिया गया है, अर्थात कुलदीप सिह पुत्र लक्ष्मण सिंह का विरासत का नामान्तरण न होकर एवं उसे बिना निरस्त किये भूदान यज्ञ बोर्ड द्वारा पुनः भूमि आवंटित कर खसरा नम्बर 650/1 के स्थान पर खसरा नम्बर 650/2 दिया गया है और इस हेतु 13.04.1966 की किसी आज्ञा का हवाला दिया गया है। इससे यह स्थिति स्पष्ट होती है कि पूर्व आवंटन तो बहाल रखे गये

जिला कलक्टर, सीकर

Scanned by CamScanner

हैं, लेकिन भूदान यज्ञ बोर्ड उनका होल्डर घोषित हुआ है और अप्रार्थी कुलदीप सिंह उसका आवंटी हो गया। जबकि दिनांक 19.05.1986 को अप्रार्थी संख्या 1 अवयस्क था, उसे किसी भी प्रकार का आवंटन धारण करने का अधिकार नहीं था। इसके अतिरिक्त कुलदीप सिंह व उसके पिता का मूल आवंटन ही 1975 का नदी नालों की भूमि होने से अवैध था, तो पश्चातवर्ती क्रम में मात्र होल्डर बदलने से अवैध आवंटन वैध नहीं हो सकता, न ही भूदान यज्ञ बोर्ड अवयस्क को किसी प्रकार का आवंटन करने का अधिकार रखता है, न ही आवंटी अवयस्क होने के नाते आवंटनका अधिकारी है। इस प्रकार जब नदी एवं नालों की भूमि आवंटन के योग्य ही नहीं थी और वह न किसी संस्था, न राज्य सरकार, किसी को भी आवंटन का अधिकार नहीं था।

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आवंटन दिनांक 26.12.1975 जो आवंटन समिति की लिस्ट में क्रम संख्या 11 पर लक्ष्मण सिंह पुत्र बागसिंह के नाम दर्ज है, को निरस्त फरमाने का श्रम करें।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया व अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से वकील श्री सागर मल धायल उपस्थित आये। अप्रार्थीगण संख्या 5 से 10 की ओर से वकील श्री बजरंग सिंह राजपूत उपस्थित आये व अप्रार्थीगण संख्या 02 से 04 बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आये।

3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

4. अपीलान्ट के योग्य अभिभाषक ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अभिकथन किया कि 1970 के नियमों के तहत केवल वही भूमि आवंटन के योग्य होती है, जो सरकारी सिवाय चक भूमि हो। जबकि भूमि मुताबिक रिकॉर्ड स्पष्ट रूप से नदी एवं नालों की भूमि है, जो 1970 के नियमों के तहत आवंटन योग्य भूमि नहीं थी। इसलिए समस्त नियमों व उप नियमों की पालना किये बिना ही उक्त आवंटन किया गया है। भूमि खसरा नम्बर 650 बरवक्त आवंटन एवं आवंटन से पूर्व सदैव नदी एवं नालों की भूमि दर्ज रही है, जो कि धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत आवंटन अथवा अन्य किसी प्रकार से खातेदारी देने के प्रयोजनार्थ भूमि नहीं थी और उक्त भूमि पर किसी भी प्रकार का न तो आवंटन संभव था एवं न ही खातेदारी कानूनन दी जा सकती थी। राजस्व जमाबन्दी में विवादित आवंटित खसरा नम्बर 650 रकबा मूल 10 बीघा 16 बिस्वा सम्पूर्ण ही लगातार सम्वत् 2020 से 2035 तक गैरमुमकिन

जिला कलक्टर, सीकर

Scanned by CamScanner

नला किस्म दर्ज है और खातेदारी कॉलम में नदी व नाले अंकित की भूमि दर्ज है। इस प्रकार आवंटन वर्ष 1975, जो सम्वत् 2031–2032 होता है। तत्कालीन समय भूमि स्पष्टतया नदी व नालों कर भूमि थी। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आवंटन दिनांक 26.12.1975 जो आवंटन समिति की लिस्ट में कम संख्या 11 पर लक्ष्मण सिंह पुत्र बागसिंह के नाम दर्ज है, को निरस्त फरमाया जाना प्रार्थनीय है।

5. वकील अप्रार्थीगण का मुख्य कथन है कि प्रार्थीगण ने अपना प्रार्थना पत्र बहुत ही लेट स्टेज पर महज मुकदमें को अनावश्यक लम्बा चलाने की नियत से प्रस्तुत किया है। प्रार्थी दूलाराम ने मूल आवेदन पत्र माननीय न्यायालय में दिनांक 14.07.2006 को प्रस्तुत किया था व अब 11 वर्ष से अधिक का समय बीत जाने के बाद प्रार्थीगण ने उक्त गलत व आधारहीन आवेदन प्रस्तुत किया है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज की मुकदमें के विवाद से कोई सुसंगतता नहीं है और न ही उक्त दस्तावेजात मुकदमें के निस्तारण के लिए आवश्यक हैं। अतः राजस्थान भू राजस्व अधिनियम (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 की धारा 14(4) के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाया जावें।

6. हमने वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का बगौर अवलोकन किया। जिससे स्पष्ट है कि:–

(1) मुताबिक जमाबन्दी ग्राम गांवडी, पटवार हल्का गांवडी, तहसील नीमकाथाना जिला सीकर सम्वत् 2020 से 2023, खसरा नम्बर 650 रकबा 10 बीघा 16 बिस्वा **गैर मुमकिन नला** के नाम से दर्ज है।

(2) मुताबिक जमाबन्दी ग्राम गांवडी, पटवार हल्का गांवडी, तहसील नीमकाथाना जिला सीकर सम्वत् 2024 से 2027, खसरा नम्बर 650 रकबा 10 बीघा 16 बिस्वा **गैर मुमकिन नला** के नाम से दर्ज है।

(3) मुताबिक जमाबन्दी ग्राम गांवडी, पटवार हल्का गांवडी, तहसील नीमकाथाना जिला सीकर सम्वत् 2028 से 2031, खसरा नम्बर 650 रकबा 10 बीघा 16 बिस्वा **गैर मुमकिन नला** के नाम से दर्ज है।

(4) मुताबिक नामान्तरकरण संख्या 636 दिनांक 12.01.1977 ग्राम गांवडी तहसील नीमकाथाना जिला सीकर में खसरा नम्बर 650/1 का आवंटन प्रहलाद पुत्र डालूराम व लक्ष्मण सिंह पुत्र बागसिंह का कब्जा हो चुका है। अतः नवीन अंकन स्वीकार है, दर्ज है।

(5) मुताबिक नामान्तरकरण संख्या 661 दिनांक 02.07.1977 ग्राम गांवडी तहसील नीमकाथाना जिला सीकर में खसरा नम्बर 650/1 का विरासत

जिला कलक्टर, सीकर

Scanned by CamScanner

नामान्तरकरण अप्रार्थी संख्या 1 कुलदीप सिंह के नाम से स्वीकार किया गया।

(6) मुताबिक जमाबन्दी ग्राम गांवडी, पटवार हल्का गांवडी, तहसील नीमकाथाना जिला सीकर सम्वत् 2057 से 2060, खसरा नम्बर 650/2 रकबा 1.52 है. भूमि की किस्म **बारानी तृतीय** राजस्थान भूदान यज्ञ बोर्ड जयपुर, भूदान होल्डर कुलदीप सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह जाति राजपूत के नाम से दर्ज है।

7. वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर आदेश दिनांक 02.08.2004 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय अनुसार गैर मुमकिन नदी, नालों की भूमि का आवंटन नहीं किया जा सकता है।

8. **प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नाजीर** D.B. CIVIL WRIT PETITION NO. 1536/2003 Abdul Rahman V/S State Of Rajasthan & Ors 02.08.2004 **के अनुसार** To take the effective steps for restoring the catchment areas to their original shap, all land shown as drain channels like nalla, river,tributaries etc. as on 15.08.1947 should be declared as Govt. land. Any conversions made after 15.08.1947 should be declared illegal. -------In the government owned lakes and other water bodies, the Khatedari rights of private person in their submergence area should be brought under the ownership of the government.

9. Citation; 2011 DNJ (SC) 849, Civil Appeal No. 821 dated 17-02-2011, Meghwal samaj shiksha samiti versus lakh singh & others के अनुसार Land recorded as gair mumkin 'Nada' cannot be allotted. Report of Patwari that land was fit for allotment cannot supersede the revenue entries.

10. वकील अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आर. आर. डी. 1986 पेज संख्या 138 बिन्दु संख्या 4 में अंकित किया है कि जब आवंटी को खातेदारी अधिकार मिलने के बाद आवंटन नियम लागू नहीं होते हैं। नियम 14(4) के अन्तर्गत गैर खातेदारी हक तक ही आवंटन निरस्त किया जा सकता है। खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के बाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत आवंटी को सभी प्रकार के अधिकार जो एक खातेदार को होने चाहिए मिल जाते हैं।

जिला कलक्टर, सीकर

Scanned by CamScanner

11. भूमि का आवंटन दिनांक 26.12.75 को हुआ था। डी.बी. सिविल रिट पीटिशन नम्बर 1536/2003 के निर्णय दिनांक 02.08.2004 के अनुसार गैर मुमकिन नाला में किया गया आवंटन, विधि सम्मत नहीं होने के कारण निरस्त होने योग्य है।

12. अतः पैरा 6 में वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि आवंटित भूमि की किस्म गैर मुमकिन नाला थी। अप्रार्थी द्वारा ऐसा कोई विधि सम्मत दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह साबित होता हो कि उन्हें प्रश्नगत आवंटित भूमि के गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार मिल चुके हैं। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नामान्तरकरण संख्या 636 दिनांक 12.01.1977 एवं 661 दिनांक 02.07.1977 में खातेदारी अधिकार दिये जाने का कोई विवरण नहीं है। अतः अप्रार्थी को ग्राम गावडी में आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 26.12.1975 को गैर मुमकिन नला में आवंटित भूमि खसरा नम्बर 650/2 रकबा 6 बीघा, जिसके पिछले बंदोबस्त में नवीन खसरा नम्बर 335 रकबा 1.52 है, बने हैं, यह आवंटन विधि सम्मत नहीं होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है।

13. निर्णय आज दिनांक 20 मार्च, 2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नरेश कुमार ठकराल)
जिला कलक्टर, सीकर
जिला कलक्टर, सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner